

रज़िर्व बैंक ने ECB नयिमों को शथिल कथि

चर्चा में क्यो?

बाह्य वाणज्यिक उधार (External Commercial Borrowing-ECB) के तंत्र को अधिक उदार बनाने के उद्देश्य से भारतीय रज़िर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों तथा ऋणों के पुनर्भुगतान आदि के लिये ECB से संबंधित नयिमों को और अधिक शथिल कर दिया है।

प्रमुख बढि :

- इसका उद्देश्य कॉर्पोरेट सेक्टर, मुख्यतः गैर बैंकगि वतित कंपनयिों को सस्ते और लंबी अवधि के ऋण दलिवाना है।
- RBI ने वाजबि उधारकर्त्ताओं को भारतीय बैंकों की वदिशी शाखाओं और वदिशी सहायक कंपनयिों को छोड़कर अन्य मान्यता प्राप्त उधारदाताओं से 10 वर्ष की परपिक्वता अवधि के साथ ECB जुटाने की अनुमति दी है।
- 10 वर्षों की न्यूनतम औसत परपिक्वता अवधि वाले ECB का प्रयोग कार्यशील पूंजीगत उद्देश्यों और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिये कथि जा सकता है।
- गैर-बैंकगि वतितयिों को 10 वर्ष की परपिक्वता अवधि के लिये आगे ऋण देने (On-Lending) के उद्देश्य से भी उधार लेने की अनुमति मिलि गई है।
- पूंजीगत व्यय के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिये लथि गया ECB न्यूनतम 10 वर्षों की औसत परपिक्वता अवधि के लिये लथि जा सकता है।
- इसके अतरिकित पूंजीगत व्यय के लिये लथि गया ECB न्यूनतम 7 वर्षों की औसत परपिक्वता अवधि के लिये लथि जा सकता है।
- गैर-बैंकगि वतितयिों को आगे ऋण देने हेतु लथि गए उधार का भुगतान रुप में करने की अनुमति भी दी गई है।

बाह्य वाणज्यिक उधार

- यह कसिी अनविसी ऋणदाता से भारतीय इकाई द्वारा लथि गया ऋण होता है।
- इनमें से अधिकतर ऋण वदिशी वाणज्यिक बैंक खरीदारों के क्रेडिट, आपूरतकिरत्ताओं के क्रेडिट, फ्लोटगि रेट नोट्स और फक्स्ड रेट बॉण्ड इत्यादि जैसे सुरक्षति माध्यमों (Instruments) द्वारा प्रदान कथि जाते हैं।

ECB के लाभ

- यह बड़ी मात्रा में धन उधार लेने का अवसर प्रदान करता है।
- इससे प्राप्त धन अपेक्षाकृत लंबी अवधि के लिये होता है।
- घरेलू धन की तुलना में ब्याज दर भी कम होती है।
- यह वदिशी मुद्राओं के रूप में होता है। इसलथि यह मशीनरी के आयात को पूरा करने के लिये कॉर्पोरेट्स को वदिशी मुद्रा रखने में सक्षम बनाता है।

स्रोत: हदुस्तान टाइम्स